मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 की प्रथम छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण पटल रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. कल्पना परूलेकर, श्री राजवर्धन सिंह, सदस्य, भोपाल में भूमि की अवैध बिक्री होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री पारस दादा, यशपाल सिंह सिसोदिया, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, रतलाम स्थित सज्जन मिल के श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री जसवन्त सिंह हाड़ा, सदस्य, शुजालपुर से सारंगपुर सड़क मार्ग का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पंचायत धूमा निवासी दम्पत्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(5) श्री चंपालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के महीगांव बांध की नहर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों से शराब की दुकान न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अठारहवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के –

- (क) बीना कृषि उपज मंडी में बैंक की शाखा खोले जाने,
- (ख) बीना में कोरला के शमशान स्थलों पर टीन शेड का निर्माण कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम कोरला में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (घ) ग्राम बरौदिया घाट एवं ग्राम कैंथनी में हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,
- (ङ) ग्राम मेवली के प्राथमिक शाला की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(2) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के –

- (क) ग्राम पगारा के पंचायत भवन स्थित नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम सोनकच्छ से कोलूखेड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम सोनकच्छ की अनुसूचित जाति बस्ती में अम्बेडकर भवन का निर्माण किए जाने, तथा
- (घ) ग्राम सोनकच्छ की अनुसूचित जाति बस्ती में पेयजल टंकी निर्माण किए जाने,

(3) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के –

(क) ग्राम बाईहेड़ा में हनुमान मंदिर के पास हेण्ड पंप खनन किये जाने,
(ख) ग्राम सेवनी में नलकूप खनन किये जाने,
(ग) ग्राम दुर्गपुरा में नलकूप खनन किए जाने, तथा
(घ) ग्राम पुराखाजला में नलकूप खनन किए जाने,

(4) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, पश्चिम निमाड़ (खरगोन) जिले के–

(क) ग्राम भोपालपुरा के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम काटकुट में सीमेन्ट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम सोरठीवारूल में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण किये जाने,

(5) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम नगर के-

(क) वार्ड क्र. 19 की गली नं. 1 से 5 तक सड़कों का डामरीकरण किये जाने,
(ख) शासकीय महाविद्यालय के खेल ग्राउन्ड को अत्याधुनिक स्टेडियम के रूप में विकसित किये जाने,
(ग) वार्ड क्र. 25 के लक्ष्मी नगर माताजी मंदिर से पाटीदार धर्मशाला तक सी.सी. रोड़ निर्माण किए जाने,
(घ) सापर चबूतरा चौराहे पर हाई मास्क लगाये जाने, तथा
(ङ) वार्ड क्र. 29 महावीर नगर में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 2013